कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला धार (म. [.)

दूरभाष नं. 07292–222402, फैक्स नं. 07292–234711
Email ID deodhar001@gmail.com

क्रमांक/ 510 /निर्वाचन/2016 धार, दिनांक 05/04 2016

प्रति,

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय :– राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली शुद्धिकरण (एन.ई.आर.पी.) 2016 गहन अभिय न के लिये स्वीप योजना।

सन्दर्भ :– आपका पत्र क्रमांक 70/09/स्वीप/2016/3039 दिनांक 24.03.2016

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट रें।

दिनांक 02.04.2016 को जिला मुख्यालय पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण धिकारी/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स एवं विधान भा स्तरीय निर्वाचन लिपिकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 27.02.2016 एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय द्वारा जारी निर्देश दि क 03.03. 2016 एवं 24.03.2016 की प्रतियॉ उपलब्ध कराई जाकर विधानसभा स्तर पर बी.एल. . एवं बी. एल.ओ. सुपरवाईजर आदि का प्रशिक्षण आयोजित किया जाकर उक्त निर्देशों की तियॉ उन्हे उपलब्ध कराते हुये निर्देशानुसार कार्यवाहियॉ समय सीमा में की जाने हेतु निर्देशित कि गया।

गहन अभियान के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो का बिन्दुवार विस्तृत ॉन तैयार कर संलग्न अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(श्रीमन् शुक्ल)
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला धार म प्र.

computer 01C:\Users\fc\Desktop\Election Letter 201523-3-2015.doc

<u>कार्यालय कलेक्टर एंव जिला निर्वाचन अधिकारी जिला धार म.प्र.</u>

निर्वाचन नामावली का संक्षिप्त पुनरीक्षण 2017 सतत अद्यतन के अन्तर्गत प्रोजेक्टेट जन ख्या 2017 अनुसार शेष रहे पात्र मतदाताओ के नाम मतदाता सूची में जोड़ने हेतु स्वीप प न

सामान्य जानकारी

1. जिले का नाम — धार म.प्र.
2. विधानसभा क्षेत्र की संख्या — 07
3. मतदान केन्द्रों की संख्या — 1857
4. दिनांक 11.01.2016 को अंतिम प्रकाशित निर्वाचक नामावली में दर्ज मतदाताअं की संख्या —

स.क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नम्बर व नाम	अंतिम प्रकाशित निर्वाचक नामावली दिनांक 11.01.2016 में दर्ज निर्वाचकों की संख्या				ईपी शों
		पुरूष	महिला	अन्य	योग	
1	196—सरदारपुर	100590	99537	6	200133	61 9
2	197—गंधवानी	109852	108040	0	217892	60 2
3	198—कुक्षी	109909	107348	8	217265	58 6
4	199—मनावर	107243	103927	6	211176	58 9
5	200—धरमपुरी	98255	93346	2	191603	58 2
6	201—धार	135800	115676	8	251484	67 9
7	202—बदनावर	95065	93527	0	188592	55 8
	योग	**756714**	**721401**	**30**	**1478145**	**60 8**

1— लिंग अनुपात (जेन्डर रेशो) की कमी दूर करना —

धार जिले मे निम्नानुसार विधानसभावार जहाँ 700 से 961 के मध्य जे ड़र रेशों है वे इस प्रकार है :—

विधानसभा क्षेत्र कमांक	700 से कम	701 से 900	901 से 960	961 से अधिक	यो ा
196—सरदारपुर	0	15	55	183	2[illegible]
197—गंधवानी	0	22	77	175	2[illegible]
198—कुक्षी	0	21	77	166	2[illegible]
199—मनावर	0	23	78	156	2[illegible]
200—धरमपुरी	0	41	94	12	2[illegible]
201—धार	52	89	76	107	3[illegible]
202—बदनावर	0	16	57	175	2[illegible]
योग	**52**	**227**	**514**	**1064**	**18 7**

चयनित मतदान केन्द्रों पर लिंगानुपात की कमी को दुर करने के लिये आशा कार्यकर्ता/आगंनवाडी कार्यकर्ता/सचिव/बीएलओ की सतत बैठके लेकर लिगांनुपात की कमी को दूर किया जायेगा तथा प्रचार—प्रसार यथा रथ, पेपर विज्ञप्ति, ग्राम स्तर पर डोंडी पिट ना आदि के माध्यम से उक्त कमी को दूर करने का प्रयास किया जावेगा।

जिले के प्रमुख चौराहों/सार्वजनिक स्थानों/मेला/बाजार एवं पर्यट स्थल पर होर्डिंग्स/पोस्टर/पेम्पलेट आदि दर्शित किये ज कर आम जनों को प्रेरित किया जाक उक्त कमी को दूर करने का प्रयास किया जावेगा।

2. 18–19 वर्ष आयु समुह में नामांकन बढाना –

वर्ष 2017 को अनुमानित जनसंख्या के आधार पर जिले मे 18–19 वर्ष ः ायु समुह के युवक/युवतियों के नामांकन बढाने के लिये कार्यालय द्वारा **49764** मतदाताओं को ि ान सभावार जोडने हेतु चिन्हाकंन किया जा चूका है, स्थिति निम्नानुसार है :–

स. क्र	विधानसभा क्षेत्र का नम्बर व नाम	अंतिम प्रकाशित निर्वाचक नामावली दिनांक 11.01.2016 में दर्ज निर्वाचकों की संख्या				अनुमानित जनसंख्या वर्ष 2017			ई.पी. रेशा	आयोग निर्देशानुसार जनसंख के 61%के मान मतद ाओं की संख्या		
		पुरुष	महिला	अन्य	योग	पुरुष	महिला	योग		पुरुष	हेला	योग
1	196–सरदारपुर	100590	99537	6	200133	175635	155754	331389	60.39	6547	533	2014
2	197–गंधवानी	109852	108040	0	217892	188794	181391	370186	58.86	5313	509	7921
3	198–कुक्षी	109909	107348	8	217265	196380	181275	377654	57.53	9883	221	13104
4	199–मनावर	107243	103927	6	211176	187119	179780	366898	57.56	6899	733	12632
5	200–धरमपुरी	98255	93346	2	191603	174177	160778	334955	57.20	7993	727	12719
6	201–धार	135800	115676	8	251484	197072	181913	378984	66.36	0	0	0
7	202–बदनावर	95065	93527	0	188592	179245	165457	344702	54.71	14275	402	21676
योग		756714	721401	30	1478145	1298421	1206347	2504768	59.01	35323	441	49764

उक्त नवीन 18–19 वर्ष के मतदाताओं के नाम जोडने हेतु स्कुल/कॉलेज तर पर शिविर आयोजन किया जाकर महाविघालयों में फार्म नं.–6 उपलब्ध कराये जाकर शत प्र शत विद्यार्थियों के नाम मतदाता सूची में अंकित कराये जावेगें तथा डोर–टू–डोर सर्वे के दौ न बी.एल.ओ. सुपरवाईजर, ऑगनवाडी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता के माध्यम से चिन्हित मतदाताओ को जोडने का कार्य किया जावेगा साथ ही समाचार पत्रों, बैनर होर्डिंग्स के माध्यम से प्रचार–प्रसार केया जाकर मतदाताओं के नाम जोडे जावेगें।

3. धुधंली खराब गुणवत्ता बिना फोटो के बनी हुई सूची व इपिक में अच्छी फोटो लगाना तथा देना –

डोर–टू–डोर सर्वे के दौरान बी.एल.ओ. के द्वारा धुधंली खराब गुणवत्ता ि ना फोटो के बनी हुई सूची व इपिक में अच्छी फोटो लगाये जाने हेतु मतदाताओं से प्राप्त की जाक प्राप्त फोटो को निर्वाचक नामावली में समाहित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4. अशुद्वियों, त्रुटियों की पहचान तथा सूचना प्रौघोगिकी का उपयोग र इनको दूर करना –

उक्त त्रुटियों की सूची प्रबंधक, म.प्र. राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम लि ाटेड भोपाल से प्राप्त की जाकर डोर–टू–डोर सर्वे के दौरान बी.एल.ओ. के द्वारा उक्त त्रुटियों को रूस्त करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही संपादित की जाकर निर्वाचक नामावली में त्रुटि सुधार उप त निर्वाचक नामावली शुद्धिकरण की कार्यवाही की जावेगी।

5. मृत स्थानांतरित बहुल प्रविष्ठयों को हटाना –

जिले के नगर पालिकाओं/परिषदों/पंचायतो को पत्र जारी कर निर्देशित कया गया है कि विगत 15 वर्षो के मृत व्यक्तियो की सूची निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण/सहार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाकर मिलान उपरांत मृत व्यक्तियों के न । हटाये की कार्यवाही की जावेगी साथ ही डोर टू डोर सर्वे के दौरान बीएलओ के माध्यम से स्थान ारित/बहुल प्रविष्ठयों को सज्ञांन मे लेकर हटाने की कार्यवाही की जावेगी।

6. **निर्वाचकों से संपर्क कर संपर्क विवरण फोन नंबर, ईमेल आदि इकटठे करना–**

डोर टू डोर सर्वे के दौरान मतदाताओं से संपर्क कर उनके फोन नंबर, ई–मेल आदि प्राप्त किये जाकर निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करने की कार्यवाही की जावे तथा जिन मतदाताओं द्वारा अपनी स्वेच्छा से आधार नम्बर दिया जावेगा तो उसे भी प्राप्त किया ज कर मतदाता के साथ दर्ज किया जायेगा।

7. **विद्यमान मतदान केन्द्रों की पार्ट सीमाओं में परिवर्तन और सेक्शनों का मानकीकरण –**

राजनैतिक दलों एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों की बैठक माह अप्रेल मे आयोजित की जाकर तथा नगर पालिका/परिषद के अनुभवी कर्मचारियों का दल गठित कर पा सीमाओं में परिवर्तन और सेक्शनो का मानकीकरण का सर्वे कार्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त कर नवीन सेक्शनों/प सीमाओं में परिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।

8. **शहरी क्षेत्र में अधिकतम 1400 तथा ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 1200 संख्या के सुगठित मतदान केन्द्र बनाना –**

जिले मे शेहरी क्षेत्र मे 1400 एवं ग्रामीण क्षेत्र मे 1200 के मान से जिन मत न केन्द्रो के मतदाताओ की संख्या का आंकलन किया जा चूका है स्थिति निम्नानुसार है:–

विधानसभा क्षेत्र कमांक	1400 से अधिक मतदाताओं वाले शहरी मतदान केन्द्रों की संख्या	1200 से अधिक मतदाताओं वाले ग्रामीण मतदान केन्द्रों की संख्या	योग
196–सरदारपुर	0	03	03
197–गंधवानी	0	02	02
198–कुक्षी	0	08	08
199–मनावर	0	06	06
200–धरमपुरी	0	02	02
201–धार	0	03	03
202–बदनावर	0	02	02
योग	**0**	**26**	**26**

9. **जहां जरूरी हो मतदान केन्द्रो का एकीकरण तथा नए मतदान केन्द्रो का सृजन करना –**

राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित कर आवश्यकतानुसार सम त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के प्रस्ताव प्राप्त किये जाकर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

10. **भौगोलिक बाधा जैसे कि नदी, नाला, छोटी नदी शलाका घने जंगल पार न करना पड़े तथा 2 कि.मी. या उससे कम दूरी पार कर मतदान केन्द्र में पहुचा जा सके –**

उक्त संबंध मे जिले के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से सर्वे कर जानकारी प्राप्त की जाकर निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।

11. मतदान केन्द्र में बुनियादी न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता की पहचान कर उनके मानचित्र बनाना –

मतदान केन्द्रों में आयोग के निर्देशानुसार बुनियादी न्युनतम सुविधाओं का भौतिक सत्यापन कराया जाकर ऐसे मतदान केन्द्र जिनमें सुविधाओं का अभाव है चिन्हित किये जाकर तदुपरांत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के माध्यम से मतदान केन्द्रों की जॉच कराई जाकर संबंधित विभाग प्रमुखों को आवश्यक पूर्ति हेतु निर्देशित किया जावेगा।

12. नजरी नक्शा (रफ स्केच मैप) बूथ क्षेत्र का सुस्पष्ट मानचित्र बनाना सडक के बूथ मतदान केन्द्र का ले आउट वास्तविक फोटो पहुचने के तरीके ब्रम सूचना गूगल मानचित्र की मदद से बनाना–

जिले मे सामान्यतः मतदान केन्द्र शासकीय भवनों मे ही है इनके द्वारा गूगल मानचित्र की मदद से आक्षांश देशांश प्राप्त कर ली गई है उक्त जानकारी भी नक्शों में अंकित की जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को डिजीटल नक्शे तैयार करवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाकर डिजीटाईजेशन का कार्य करवाया जावेगा।

13. मृत व्यक्तियो के रिश्तेदार और पडोसी आगे आकर पृविष्टी हटाने का आवेदन दे प्रचार में ऐसा प्रोत्साहन हो

प्रचार–प्रसार के सभी माध्यमों का उपयोग मृत व्यक्तियों के रिश्तेदार और पडोसी आगे आकर पृविष्टी को हटवाये इस हेतु प्रेरित किया जावेगा।

14. राजनैतिक दलों को बूथ लेवल एजेन्ट की नियुक्ति हेतु प्रोत्साहन एवं बूथ लेवल एजेन्टों को बूथ स्तर पर संसुचित करना –

सभी राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों को बूथ लेवल एजेन्ट की नियुक्ति कर उनकी सूची उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध पत्र लिखा जाकर बूथ लेवल एजेन्टो को बूथ स्तर पर संसुचित करने हेतु अनुरोध किया जावेगा।

15. वार्ड आर.डब्लू.ए ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय की बैठक में बूथ जागरूकता समूह के सदस्य एव बीएलओ, जाकर पुनरावृत्ति बहुल प्रविष्टी एपिक नंबर की पुनरावृत्ति मृतक मतदाताओं की सूची का वाचन किया जावें। इस बैठकों का वृत्त रिकार्ड ईआरओ के पास रखा जावे –

इस संबंध मे सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अवगत कराया जाकर निर्देशानुसार कार्यवाही की जाकर कार्यवाही की जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

16. बीएलओ के नाम पते व फोन को बूथ क्षेत्र के भीड–भाड वाले स्थलों पर बैनर /स्टीकर के रूप में चस्पा कराए ताकि मतदाता उनको संपर्क कर अपनी आवश्यकता सूचना तथा आवेदन दे सकें –

कार्यालय द्वारा विधानसभावार बी.एल.ओ.स्टीकर मुद्रित कराये जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराये जा चूके है उक्त स्टीकर उनके प्रभार क्षेत्र के समस्त बी.एल.ओ. को स्टीकर प्रदाय किये जाकर भीड–भाड़ वाले स्थलो तथा सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

17. **संलग्न सूची में दर्शित स्थलो पर सूची शुद्धिकरण अभियान से संबंधि त सूचनाए बैनर पोस्टर होर्डिग के रूप में लगाई जावे –**

निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही संपादित की जावेगी।

18. **दूरदर्शन आकाशवाणी लोकल चैनल केबल सिनेमाघर में जागरूकत संदेश व स्वेच्छा से आगे आकर संसूचित करने हेतु प्रोत्साहन के लिए नियमि त प्रसारण किया जावें –**

जिले के लोकल चैनल, केबल सिनेमाघर में जागरूकता संदेश व स्वेच्छा र आगे आकर संसूचित करने हेतु प्रोत्साहन के लिए नियमित प्रचार प्रसार किया जावेगा ।

19. **जेण्डर गैप–महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा एवं परिव : कल्याण विभाग, लीड बैंक सेन्ट्रल बैंक मध्यप्रदेश विभिन्न के स्वसहायता समू –**

जेण्डर की पूर्ति हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा एवं पी ार कल्याण विभाग, लीड बैंक सेन्ट्रल बैंक, विभिन्न स्वसहायता समूह इन सभी का सहयोग लिया ज वेगा।

20. **युवा समूह–उच्च शिक्षा , विभाग ,स्कल शिक्षा विभाग, नेहरू केन्द्र सं ठन केन्द्रीय विघालय संगठन , एनएसएस , एनसीसी तकनीकी शिक्षा विभ ग –**

जिले के युवा जो 18+ के हो चुके है के नाम मतदाता सूची मे दर्ज क ने हेतु उच्च शिक्षा विभाग, स्कुल शिक्षा विभाग, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, केन्द्रीय विघालय संगठ एनएसएस, एन.सी.सी, तकनीकी शिक्षा विभाग सभी को आवश्यक फार्म उपलब्ध कराये जाकर र ंधित विधान सभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरा अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारि ों को भेजने संबंधी निर्देश जारी किये जावेगे।

21. **दिव्यांगजन सामाजिक न्याय विभाग, चिकित्सा शिक्षा एंव परिवार कल ाण विभाग –**

सामाजिक न्याय विभाग, चिकित्सा, शिक्षा एंव परिवार कल्याण विभाग को ा ार्यालय द्वारा पत्र जारी कर जानकारी प्राप्त की जा रही है कि जो व्यक्ति दिव्यांग होकर 18+ े है उसकी जानकारी निर्धारित प्रारूप भेजे।

22. **सर्विस वोटर्स–थल सेना, जल सेना, वायु सेना, अर्धसैनिक बल के जिला एवं राज्य स्तर के कार्यालय जिला/राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड**

सैनिक कल्याण बोर्ड अधिकारी को सर्विस वोटर्स की सूची भेजी जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सर्विस मतदाताओं की पुष्टि हेतु लिखा जा चूका है।

23. प्रचार प्रसार एवं जागरूकता अभियान, दूरदर्शन, आकाशवाणी, डीए पी, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, लीड बैंक, दूरसंचार विभाग, आयकर विभाग, पीआईबी, एयरपोर्ट अथारीटी, रेलवे, इंडियन आईल, कार्पोरेशन, स्वराज संस्था , रेडक्रास सोसाइटी, जनसंपर्क विभाग, सूचना प्रोद्योगिकी विभाग आदि अन्य स भी पार्टनर (शासकीय/अशासकीय) –

जिले के सभी जागरूकता अभियान, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, लीड क, दूरसंचार विभाग, आयकर विभाग, कार्पोरेशन, रेडक्रास सोसाइटी, जनसंपर्क विभाग, सूचना प्रोद्य गिकी विभाग, आदि अन्य सभी पार्टनर (शासकीय/अशासकीय) आदि सभी को प्रचार–प्रसार ए जागरूकता अभियान के अंतर्गत स्वीप पार्टनर बनाकर जिले के छुटे हुवे पात्र मतदाता/18+ युव युवतियो के नाम दर्ज कराने तथा अपने मतदाता सूची मे/ईपीक कार्ड मे किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसे ठीक कराने के लिये उपरोक्त सभी स्वीप पार्टनरो का सहयोग लिया जावेगा।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला धार म.प्र.